भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2340
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरे और जलकृषि किसान

2340. श्री मलैयारासन डी.:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसवाई) का ब्यौरा क्या है और यह देश में मछुआरों और जलीय कृषि किसानों को क्या विशिष्ट लाभ प्रदान करता है;
(ख) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित और वितरित निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में मछुआरों और जलीय कृषि किसानों को पीएमएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता तक पहुंच की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) इस योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, मछली पकड़ने के संवहनीय पद्धतियों को बढ़ाने और छोटे और मध्यम मछुआरों के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार की योजना पीएमएमकेएसवाई में कोई सुधार या विस्तार करने की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए वर्तमान में चल रही प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका अनुमानित परिव्यय 6000 करोड़ रुपये है, जिसमें 3000 करोड़ रुपये सार्वजनिक वित्त और शेष 3000 करोड़ रुपये तदनुरूप निजी निवेश शामिल हैं। पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत लक्षित लाभार्थियों में मछुआरे, जलीय कृषि किसान, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता, मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यम, सहकारी समितियां, संघ, ग्राम स्तरीय संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्टार्टअप आदि शामिल हैं।

उप-योजना के चार घटक हैं जैसे घटक 1-क: मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित करना और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना, घटक 1-ख: जलीय कृषि बीमा को अपनाने में सुविधा प्रदान करना, घटक 2: मात्स्यिकी क्षेत्र मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना, घटक 3: मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और उनका विस्तार करना, और घटक 4: परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग।

इन घटकों के अंतर्गत, उप-योजना निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है: (i) नेशनल फिशरिज डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसके ऐप्स के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र के असंगठित हिस्से को संगठित करना, (ii) संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, (iii) किसानों को प्रीमियम का 40% (प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये तक, या 4 हेक्टेयर के लिए प्रति किसान 1 लाख रुपये) प्रदान करके 'एकमुश्त प्रोत्साहन' द्वारा जलीय कृषि बीमा को अपनाना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन, (iv) सूक्ष्म उद्यम के लिए निष्पादन अनुदान के माध्यम से घटक 2 और 3 के अंतर्गत मात्स्यिकी मूल्य-श्रृंखला दक्षताओं में सुधार और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना, अर्थात सामान्य श्रेणी के लिए कुल निवेश का 25% या 35 लाख रुपये, जो भी कम हो, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कुल निवेश का 35% या 45 लाख रुपये, जो भी कम हो। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तरीय संगठनों और स्व सहायता समूहों, एफएफपीओ और सहकारी समितियों के महासंघों के लिए निष्पादन अनुदान कुल निवेश के 35% या 200 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही, पीएम-एमकेएसएसवाई का लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं के लिए नौकरियों के सृजन और रखरखाव के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रदान करना है , जो कुल पात्र अनुदान के 50% की सीमा के अधीन है।

(ख) पीएम-एमकेएसएसवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है और इस उप-योजना के तहत राज्य सरकार को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान तमिलनाडु सरकार को 1152.85 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें केंद्रीय अशं 445.36 करोड़ रुपए है और अब तक 136.31 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रमुख परियोजनाओं में मल्टी पर्पस सी वीड पार्क की स्थापना,हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर्स का विकास, आर्टिफिशियल रिफ्स की स्थापना, ब्रूड बैंकों का विकास, मीठे और खारे पानी के जलकृषि में क्षेत्र विस्तार, सी वीड कल्चर राफ्ट और मोनोलाइन कल्चर, ऑर्नामेंटल ब्रीडिंग और रियरिंग युनिट, बायोफ्लोक, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, मत्स्यन पर वार्षिक प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका और पोषण सहायता आदि शामिल हैं।

(ग) वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित पीएमएमकेएसएसवाई के अंतर्गत उपलब्ध लाभों तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए , इच्छित लाभार्थियों द्वारा आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करा दी गई है।

(घ) उप-योजना का उद्देश्य वित्तीय पहलुओं, परियोजना को तैयार करने और दस्तावेज़ीकरण को सुविधाजनक बनाने में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना है। इसके अलावा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी, अच्छी और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने, स्थायी (सस्टेनेबल) मात्स्यिकी प्रबंधन आदि से संबन्धित जानकारी का प्रसार शामिल है। ये उपाय मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, स्थायी मात्स्यिकी प्रथाओं को बढ़ाने और इस योजना के तहत छोटे और मध्यम मछुआरों के उत्पादों के लिए मार्केट तक पहुँच में सुधार करने में योगदान करते हैं।

(ङ) उप-योजना में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने, मूल्य श्रृंखला दक्षता बढ़ाने और रिस्क कम करने के लिए निष्पादन अनुदान द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने की नई अवधारणा है।

****